सुनिश्चित कीजिए उनकी मुस्कुराहट
प्लस सुरक्षा

पेश है

एलआईसी का
प्रोटेक्शन प्लस

प्लान सं.: 886 यूआईएन: 512L361V01

विशेषताएँ:

- आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनेक निवेश फंड विकल्प उपलब्ध
- अपनी जोखिम बीमा-सुरक्षा बढ़ाएँ, टॉप अप प्रीमियम भुगतानों के साथ
- आयु एवं अवधि के अनुसार उच्च बीमा राशि चुनने का विकल्प
- 5 वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति

एक नॉन-पार, लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत प्लान

ऑनलाइन भी उपलब्ध

LIC
योगक्षेमं वहाम्यहम्
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

हमारा वॉट्सएप नं.
8976862090
कहिए 'Hi'

अधिक जानकारी के लिए आप अपने बीमा एजेन्ट/
नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें | विज़िट करें: www.licindia.in

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

LIC/P1/2025-26 /20/Hin/SB

एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस
(यूआईएन: 512L361V01)

(एक असहभागी, सम्बद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश का जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाता है।

युनिट लिंक्ड बीमा उत्पाद संविदा के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान कोई तरलता प्रदान नहीं करते हैं। पॉलिसीधारक पाँचवे वर्ष के समापन तक युनिट लिंक्ड बीमा उत्पादों में निवेशित धन को पूर्ण या आंशिक रूप से निकाल नहीं सकेंगे या इन्हें अभ्यर्पित नहीं कर सकेंगे।

एलआईसी की प्रोटेक्शन प्लस एक असहभागी, सम्बद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है, जो पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान जीवन बीमा–सुरक्षा के साथ बचत की सुविधा भी प्रदान करती है।

एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस एक असहभागी उत्पाद है, इसलिए पॉलिसी अवधि के दौरान अधिशेष (हितलाभ) में किसी भी हिस्से के लिए पॉलिसी की कोई पात्रता नहीं है।

इस योजना को अनुज्ञा–प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, ब्रोकरों, बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन खरीदा जा सकता है और साथ ही सीधे वेबसाइट **www.licindia.in.** के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

प्रस्तावक के पास उस प्रीमियम राशि को, जो वह भुगतान करना चाहता है, मूल बीमा राशि गुणक, प्रीमियम भुगतान अवधि और पॉलिसी अवधि, जो अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन है, को चुनने के विकल्प होंगे। पॉलिसीधारक के पास नियमित भुगतान या सीमित भुगतान के रूप में मूल प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प होगा। पॉलिसीधारक के पास अनुच्छेद 4. सी में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन टॉप–अप प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प भी होगा। टॉप–अप प्रीमियम के भुगतान को मूल प्रीमियम के समान ही अलग फंड में अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक पॉलिसी में **मूल प्रीमियम फंड** और **टॉप–अप प्रीमियम फंड,** यदि कोई हो, होगा। यूनिट फंड मूल्य **मूल प्रीमियम फंड** मूल्य और **टॉप–अप प्रीमियम फंड मूल्य,** यदि कोई हो, का योग होगा।

मूल बीमा राशि वार्षिक प्रीमियम में **मूल बीमा राशि गुणक** (न्यूनतम और अधिकतम मूल बीमा राशि गुणक अनुच्छेद 2 में दिए अनुसार होगा) के गुणनफल के बराबर होगी।

प्रत्येक टॉप–अप प्रीमियम में **टॉप–अप बीमा राशि,** भुगतान की गई टॉप–अप प्रीमियम के 1.25 गुना के बराबर होगी।

भावी पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि उत्पाद को खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय, वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प/उत्पाद चुनने के लिए सोचे-समझे निर्णय लेने हेतु समान उपलब्ध उत्पादों का संदर्भ ले सकते हैं, जैसे वार्षिकी, यूएलआईपी आदि।

1. प्रमुख विशेषताएँ:

- संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान जीवन बीमा-सुरक्षा।
- निवेश फंड के प्रकार को चुनने की सुविधा।
- किसी निश्चित वार्षिक प्रीमियम के लिए मूल बीमा राशि चुनने की सुविधा।
- मूल बीमा राशि को बढ़ाने/घटाने का विकल्प।
- एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना हितलाभ राइडर का चयन करके बीमा-सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- टॉप-अप प्रीमियम का भुगतान करने में लचीलापन।
- मृत्यु हितलाभ के निपटान की विधि एकमुश्त या किस्तों में।
- पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष के बाद आंशिक निकासी की अनुमति है।
- परिपक्वता तिथि तक जीवित रहने पर मृत्युदर शुल्क की वापसी।

2. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध:

i.	प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) और पॉलिसी अवधि	इस उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) और पॉलिसी अवधि का निम्नलिखित संयोजन उपलब्ध होगा:

पीपीटी (वर्ष)	**पॉलिसी अवधि (वर्ष)**
5	10, 15, 20, 25
7	10, 15, 20, 25
10	10, 15, 20, 25
15	15, 20, 25

ii.	न्यूनतम प्रीमियम	न्यूनतम प्रीमियम, प्रीमियम भुगतान अवधि पर निर्भर होगी और वह निम्नानुसार होगी:

पीपीटी (वर्ष)	न्यूनतम प्रीमियम			
	मासिक प्रीमियम	त्रैमासिक प्रीमियम	अर्धवार्षिक प्रीमियम	वार्षिक प्रीमियम
5,7&10	रु. 5,000	रु. 15,000	रु. 30,000	रु. 60,000
15	रु. 3,000	रु. 9,000	रु. 18,000	रु. 36,000

प्रीमियम वार्षिक विधि के लिए रु. 1000/-, अर्ध-वार्षिक विधि के लिए रु. 500/- और त्रैमासिक एवं मासिक (एनएसीएच) विधि के लिए रु. 250/- के गुणकों में होगी।

न्यूनतम टॉप-अप प्रीमियम रु. 1,000 प्रति टॉप-अप होगी और टॉप-अप प्रीमियम रु. 1000 के गुणकों में होगी।

<table>
<tr><td>iii.</td><td>अधिकतम प्रीमियम</td><td>कोई सीमा नहीं। हालाँकि, प्रत्येक व्यक्तिगत को दी जाने वाली अधिकतम प्रीमियम राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार बीमांकन निर्णय के अधीन होगी।</td></tr>
<tr><td>iv.</td><td>प्रवेश की न्यूनतम आयु</td><td>18 वर्ष (पूर्ण)</td></tr>
<tr><td>v.</td><td>प्रवेश के समय अधिकतम आयु</td><td>प्रवेश के समय अधिकतम आयु प्रीमियम भुगतान अवधि पर निर्भर होगी और वह निम्नानुसार होगी:
<table>
<tr><th>प्रीमियम भुगतान अवधि</th><th>प्रवेश के समय अधिकतम आयु (निकटतम जन्मदिन)</th></tr>
<tr><td>5 वर्ष</td><td>50 वर्ष</td></tr>
<tr><td>7, 10 और 15 वर्ष</td><td>65 वर्ष</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>vi.</td><td>अधिकतम परिपक्वता आयु</td><td>
<table>
<tr><th>पॉलिसी अवधि (वर्ष)</th><th>परिपक्वता के समय अधिकतम आयु (निकटतम जन्मदिन)</th></tr>
<tr><td>10</td><td>75 वर्ष</td></tr>
<tr><td>15</td><td>80 वर्ष</td></tr>
<tr><td>20</td><td>85 वर्ष</td></tr>
<tr><td>25</td><td>90 वर्ष</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>vii.</td><td>न्यूनतम मूल बीमा राशि</td><td>न्यूनतम मूल बीमा राशि निम्नानुसार होगी:
<table>
<tr><th>प्रवेश के समय आयु 50 वर्ष से कम (निकटतम जन्मदिन)</th><th>प्रवेश के समय आयु 50 वर्ष और उससे अधिक (निकटतम जन्मदिन)</th></tr>
<tr><td>वार्षिक प्रीमियम की 7 गुना</td><td>वार्षिक प्रीमियम की 5 गुना</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>viii.</td><td>अधिकतम मूल बीमा राशि</td><td>अधिकतम मूल बीमा राशि का गुणक प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी), प्रीमियम और आयु पर निर्भर होगी और वह निम्नानुसार होगी:
(ए) रु. 60,000 या उससे अधिक वार्षिक प्रीमियम के लिए
<table>
<tr><th colspan="5">अधिकतम मूल बीमा राशि गुणक</th></tr>
<tr><th rowspan="2">प्रवेश के समय आयु (निकटतम जन्मदिन)</th><th colspan="4">पीपीटी (वर्ष)</th></tr>
<tr><th>5</th><th>7</th><th>10</th><th>15</th></tr>
<tr><td>18 से 30 वर्ष</td><td>20</td><td>22</td><td>22</td><td>40</td></tr>
<tr><td>31 से 40 वर्ष</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>25</td></tr>
<tr><td>41 से 45 वर्ष</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>20</td></tr>
<tr><td>46 से 50 वर्ष</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td></tr>
<tr><td>51 से 55 वर्ष</td><td>शून्य</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td></tr>
<tr><td>56 से 65 वर्ष</td><td>शून्य</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr>
</table>
(बी) रु. 60,000 से कम वार्षिक प्रीमियम के लिए
<table>
<tr><th colspan="2">अधिकतम मूल बीमा राशि गुणक</th></tr>
<tr><th>प्रवेश के समय आयु (निकटतम जन्मदिन)</th><th>पीपीटी– 15 वर्ष</th></tr>
<tr><td>18 से 30 वर्ष</td><td>30</td></tr>
<tr><td>31 से 40 वर्ष</td><td>20</td></tr>
<tr><td>41 से 45 वर्ष</td><td>15</td></tr>
<tr><td>46 से 50 वर्ष</td><td>10</td></tr>
<tr><td>51 से 55 वर्ष</td><td>7</td></tr>
<tr><td>56 से 65 वर्ष</td><td>7</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

प्रत्येक व्यक्तिगत को दी जाने वाली अधिकतम मूल बीमा राशि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार बीमांकन निर्णय के अधीन होगी।

जोखिम प्रारंभ होने की तिथि: जोखिम, जोखिम की स्वीकृति की तिथि अर्थात पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से तुरंत प्रारंभ हो जाएगा।

3. चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ:

ए) मृत्यु हितलाभ:

निर्धारित परिपक्वता तिथि से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय हितलाभ, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो (अनुग्रह अवधि सहित) निम्नानुसार होगा:

इनमें से जो भी अधिक हो:

- मूल बीमा राशि में मृत्यु की तिथि से ठीक पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासी, यदि कोई हो को घटाकर; या
- मूल प्रीमियम फंड मूल्य; या
- मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल मूल प्रीमियम का 105%

उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि पॉलिसी के अंतर्गत टॉप-अप प्रीमियम का भुगतान किया गया है, तो निम्नलिखित में से जो भी अधिक राशि होगी, वह भी देय होगी:

- कुल टॉप-अप बीमा राशि; या
- टॉप-अप प्रीमियम फंड मूल्य; या
- मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल टॉप-अप प्रीमियम का 105%

जहाँ,

मूल प्रीमियम फंड मूल्य, किसी पृथक फंड में किसी समय मूल प्रीमियम के संबंध में युनिटों का कुल मूल्य होगा, अर्थात मूल प्रीमियम के संबंध में किसी पॉलिसी के अंतर्गत युनिटों की कुल संख्या को उस फंड के प्रति युनिट शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) से गुणा करके उसके गुणनफल के बराबर।

टॉप-अप प्रीमियम फंड मूल्य, किसी पृथक फंड में किसी समय पर टॉप-अप प्रीमियम, यदि कोई हो, के संबंध में यूनिटों का कुल मूल्य होगा, अर्थात टॉप-अप प्रीमियम के संबंध में किसी पॉलिसी के अंतर्गत यूनिटों की कुल संख्या को उस फंड के प्रति यूनिट शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) से गुणा करके उसके गुणनफल के बराबर।

भुगतान की गई कुल मूल प्रीमियमों का अर्थ है मूल उत्पाद के अंतर्गत प्राप्त सभी मूल प्रीमियमों का योग।

भुगतान की गई कुल टॉप-अप प्रीमियमों का अर्थ है पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त सभी टॉप-अप प्रीमियमों का योग।

कुल टॉप-अप बीमा राशि का अर्थ है पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त टॉप-अप प्रीमियम के संबंध में कुल टॉप-अप बीमित राशि का योग।

स्वीकार्य दावे की देयता मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु की सूचना प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी रूप से बुक की जाएगी। मृत्यु की तिथि के बाद वसूले गए मृत्यु शुल्क, दुर्घटना हितलाभ शुल्क, पॉलिसी प्रशासन शुल्क और कर शुल्क को मृत्यु की सूचना की तिथि पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य में वापस जोड़ दिया जाएगा और मृत्यु हितलाभ के साथ नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को वापस भुगतान कर दिया जाएगा।

यदि निपटान विकल्प चुना गया हो तो मृत्यु हितलाभ एकमुश्त राशि या किस्तों में देय होगा, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 4.जी में उल्लेख किया गया है।

बी) परिपक्वता हितलाभ:

परिपक्वता तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, परिपक्वता तिथि पर यूनिट फंड मूल्य के बराबर राशि देय होगी। यूनिट फंड मूल्य मूल प्रीमियम फंड मूल्य और टॉप–अप प्रीमियम फंड मूल्य (यदि कोई हो) का योग होगा।

सी) मृत्यु प्रभार की वापसी:

जीवन बीमा–सुरक्षा के संबंध में मूल प्रीमियम फंड और टॉप–अप प्रीमियम फंड से काटे गए मृत्यु प्रभार की कुल राशि, यदि कोई हो, परिपक्वता हितलाभ के साथ देय होगी।

उपरोक्त मृत्यु–शुल्क की कुल राशि में बीमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत प्रभार्य कोई अतिरिक्त राशि और मृत्यु–शुल्क पर लगाए गए कर–शुल्क, यदि कोई हों, शामिल नहीं होंगे।

अभ्यर्पण या बंद की गई पॉलिसी के मामले में मृत्यु शुल्क की वापसी देय नहीं होगी।

4. वैकल्पिक हितलाभ:

ए. एलआईसी का संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर:

बीमित व्यक्ति के पास एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512A211V02) का लाभ उठाने का विकल्प होता है। इस राइडर को पॉलिसी की शुरुआत में या पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी पॉलिसी वर्षगांठ पर, बशर्ते कि बकाया पॉलिसी अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन पॉलिसी की उस वर्षगांठ पर या उससे पहले, जिस पर बीमित व्यक्ति की आयु उसके जन्मदिन के निकट 65 वर्ष हो चुना जा सकता है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा–सुरक्षा परिपक्वता की तिथि तक या उस पॉलिसी की वर्षगांठ तक, जिस पर बीमित व्यक्ति की आयु उसके जन्मदिन के निकट 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो, उपलब्ध होगी, बशर्ते कि पॉलिसी दुर्घटना की तिथि पर चालू हो। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि मूल बीमित राशि से अधिक नहीं हो सकती।

उपरोक्त राइडर के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइडर ब्रोशर देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

बी. आंशिक निकासी:

पॉलिसीधारक 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि (अर्थात पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि) के बाद किसी भी समय यूनिटों को आंशिक रूप से निकाल सकता है, जो निम्नांकित के अधीन होगा:

- आंशिक निकासी निश्चित राशि या निश्चित संख्या में यूनिटों के रूप में हो सकती है।
- टॉप–अप प्रीमियम यदि कोई हो से निर्मित फंड से आंशिक निकासी की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि उस फंड द्वारा आंशिक निकासी का समर्थन किया जाता है, और बाद में, मूल प्रीमियम से निर्मित फंड से आंशिक निकासी की अनुमति दी जा सकती है।
- आंशिक निकासी के उद्देश्य से प्रत्येक टॉप–अप प्रीमियम (यदि कोई हो) में पॉलिसी की पूर्ण निकासी के मामले को छोड़कर, प्रत्येक टॉप–अप प्रीमियम के भुगतान की तिथि से 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि होगी। इसलिए, आंशिक निकासी की अनुमति सबसे पहले टॉप–अप फंड मूल्य से दी जाएगी, जिसने 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि पूरी कर ली है, फिर मूल प्रीमियम फंड मूल्य से, यदि टॉप–अप फंड ऐसी निकासी के लिए अपर्याप्त है।
- टॉप–अप प्रीमियम फंड मूल्य से अधिकतम आंशिक निकासी की अनुमति उस सीमा तक दी जाएगी, जहां पात्र टॉप–अप प्रीमियम फंड मूल्य (टॉप–अप प्रीमियम के संबंध में फंड्स, जिन्होंने 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि पूरी कर ली है) संबंधित टॉप–अप बीमित राशि से अधिक हो।
- यदि आंशिक निकासी पर देय राशि रु. 1000/– से कम है तो आंशिक निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के दौरान फंड के एक प्रतिशत के रूप में आंशिक निकासी की अधिकतम राशि निम्नानुसार होगी:

पॉलिसी वर्ष	यूनिट फंड का प्रतिशत
6 से 10 तक	15%
11 से 15 तक	20%
16 से 20 तक	25%
21 से 25 तक	30%

उपरोक्त आंशिक निकासी की अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि आंशिक निकासी के लिए अनुमति देने के बाद शेष बची न्यूनतम शेष राशि रु. 60,000/– से कम वार्षिक प्रीमियम के लिए 4 वार्षिक प्रीमियम से कम नहीं होगी और अन्य सभी मामलों में 3 वार्षिक प्रीमियम से कम नहीं होगी।

- ऐसी आंशिक निकासी, जिसके परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्त हो जाएगा, की अनुमति नहीं होगी।
- अनुच्छेद 9.जी में निर्दिष्ट आंशिक निकासी शुल्क की कटौती मूल प्रीमियम फंड से की जाएगी।
- यदि आंशिक निकासी की गई है, तो निकासी की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए, मूल बीमा राशि या चुकता बीमा राशि, जो भी लागू हो, मूल प्रीमियम फंड मूल्य से की गई आंशिक निकासी की राशि की सीमा तक कम कर दी जाएगी। निकासी की तिथि से दो वर्ष की अवधि पूरी होने पर मूल मूल बीमा राशि या चुकता बीमा राशि, जो भी लागू हो, बहाल कर दी जाएगी।

सी. टॉप–अप प्रीमियम:

पॉलिसीधारक के पास टॉप–अप प्रीमियम का भुगतान करने का विकल्प होगा, जो कि अनुबंधात्मक प्रीमियम के अतिरिक्त स्वैच्छिक रूप से भुगतान की जाने वाली राशि है, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

- टॉप–अप प्रीमियम को निगम की प्रचलित बोर्ड अनुमोदित बीमांकन नीति के अधीन स्वीकार किया जाएगा।
- टॉप–अप प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है, सिवाय अंतिम 5 पॉलिसी वर्षों के दौरान, बशर्ते पॉलिसी चालू हो (अर्थात सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो)।
- पॉलिसी बंद रहने तक टॉप–अप प्रीमियम को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- भुगतान की गई प्रत्येक टॉप–अप प्रीमियम में टॉप–अप बीमा राशि भुगतान की गई टॉप–अप प्रीमियम के 1.25 गुना के बराबर होगी। प्राप्त प्रत्येक टॉप–अप प्रीमियम के संबंध में टॉप–अप बीमा राशि टॉप–अप प्रीमियम के संबंध में जोखिम की स्वीकृति की तिथि से तुरंत प्रभावी होगी।
- न्यूनतम देय टॉप–अप प्रीमियम रु. 1000 है और यह रु. 1000 के गुणकों में होगी।
- टॉप–अप प्रीमियम अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट शुल्क के अधीन हैं।
- टॉप–अप प्रीमियम को उसी फंड में आवंटित किया जाएगा जिसे पॉलिसीधारक द्वारा मूल प्रीमियम के लिए चुना गया है।
- एक बार भुगतान कर दी गई टॉप–अप प्रीमियम को, पॉलिसी के पूर्ण अभ्यर्पण के मामले को छोड़कर, टॉप–अप प्रीमियम की प्राप्ति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए टॉप–अप फंड से नहीं निकाला जा सकता है।

डी. मूल बीमा राशि में वृद्धि:

चालू पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसीधारक के पास अपने जीवन चक्र की आवश्यकताओं के अनुसार मूल प्रीमियम के संबंध में मूल बीमा राशि को बढ़ाने का विकल्प होगा, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

- इस विकल्प का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, जैसे बीमित व्यक्ति का विवाह, बच्चे का जन्म/कानूनी गोद लेना या निगम द्वारा इस संबंध में दी गई किसी अन्य घटना की तिथि से बारह महीने के भीतर किया जा सकता है।
- पॉलिसी के अंतर्गत बढ़ी हुई मूल बीमा राशि निगम की बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमांकन नीति के अधीन होगी। अधिकतम अनुमत मूल बीमा राशि गुणक (जैसा कि अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट है) इस विकल्प का उपयोग करने के समय पॉलिसीधारक की आयु और पॉलिसी के अंतर्गत मूल पीपीटी/पॉलिसी अवधि के अनुरूप होगी।
- इस विकल्प का उपयोग करते समय बीमित व्यक्ति की अधिकतम आयु 45 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बढ़ी हुई मूल बीमा राशि के लिए जोखिम की स्वीकृति पर, यह परिवर्तन आगामी पॉलिसी माह से प्रभावी होगा और तदनुसार संशोधित मूल बीमा राशि पर अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट मृत्युदर शुल्क ऐसे पॉलिसी माह से काट लिया जाएगा।
- चिकित्सा रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट से संबंधित व्ययों, यदि कोई हों, को पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा।
- एक बार बढ़ जाने के बाद मूल बीमा राशि को मूल मूल बीमा राशि की सीमा तक कम नहीं किया जा सकता।
- इस परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 9.जे में निर्दिष्ट विविध शुल्क लागू होंगे।

इस विकल्प का उपयोग कई बार किया जा सकता है, हालांकि यह उपरोक्त नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

ई. मूल बीमा राशि में कमी:

किसी चालू पॉलिसी के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत मूल प्रीमियम के संबंध में मूल बीमा राशि में कोई भी कमी अनुच्छेद 2 में उल्लेखित प्रतिबंधों के अधीन होगी और वह अगले पॉलिसी महीने से प्रभावी होगी। अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट मृत्यु दर शुल्क अगले पॉलिसी महीने से संशोधित मूल बीमा राशि पर आधारित होगा।

एक बार कम हो जाने के बाद, मूल बीमा राशि को वास्तविक मूल बीमा राशि की सीमा तक भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 9.जे में निर्दिष्ट विविध शुल्क लागू होंगे।

एफ. बदलाव:

पॉलिसीधारक के पास पॉलिसी अवधि के दौरान अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट फंड प्रकारों के बीच बदलाव करने का विकल्प होता है। बदलाव करने पर, संपूर्ण यूनिट फंड मूल्य को बदलकर चुने गए नए फंड में कर दिया जाएगा। किसी दिए गए पॉलिसी वर्ष के दौरान, चार नि:शुल्क बदलावों की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद के बदलाव अनुच्छेद 9.एफ में निर्दिष्ट अनुसार रु. 100 प्रति बदलाव के शुल्क के अधीन होंगे।

जी.निपटान विकल्प:

यह मृत्यु हितलाभ को किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के चालू रहने के दौरान किया जा सकता है, जिसमें नामांकित व्यक्ति को मृत्यु हितलाभ का भुगतान करने की विधि (अर्थात वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक) निर्दिष्ट करनी होगी, जो कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु की सूचना की तिथि से 5 वर्ष से अधिक की अवधि में नहीं हो तथा वह लिखित रूप में, मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ बताई जाए। मृत्यु दावा राशि का भुगतान तब नामांकित व्यक्ति को चुने गए विकल्प के अनुसार किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत यूनिट फंड का निवेश, मृत्यु की सूचना की तिथि को विद्यमान फंड प्रकार के अनुसार जारी रहेगा।

प्रत्येक किस्त (युनिटों की संख्या में) मृत्यु की सूचना की तिथि को कुल युनिटों की संख्या को किस्तों की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाएगी (अर्थात 5 वर्ष की अवधि में वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक किस्तों के लिए क्रमशः 5, 10, 20 और 60)। प्रत्येक किस्त के संबंध में प्राप्त युनिटों की संख्या को किस्त भुगतान की तिथि को लागू फंड प्रकार के एनएवी से गुणा करके प्रत्येक किस्त में भुगतान की गई राशि प्राप्त की जाएगी। किस्त का भुगतान यूनिट फंड से युनिटों को भुनाकर किया जाएगा। पहला भुगतान मृत्यु की सूचना की तिथि के अनुरूप किया जाएगा और उसके बाद चुनी गई विधि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात मृत्यु की सूचना की तिथि से हर महीने या तीन महीने या छह महीने या वार्षिक, जैसा भी मामला हो।

निपटान विकल्प अवधि के दौरान फंड प्रबंधन शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क की कटौती नहीं की जाएगी। निर्दिष्ट तिथि पर देय किस्त का मूल्य निवेश जोखिम के अधीन होगा, अर्थात फंड के प्रदर्शन के आधार पर एनएवी बढ़ या घट सकती है। निपटान अवधि के दौरान निवेश जोखिम नामांकित व्यक्ति/ लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा। निपटान अवधि के दौरान कोई जोखिम बीमा–सुरक्षा या गारंटीकृत हितलाभ नहीं होगा।

निपटान विकल्प अवधि के प्रारंभ होने के बाद नामिती की मृत्यु होने पर, यूनिट फंड में विद्यमान बकाया यूनिटों का मूल्य वैधानिक उत्तराधिकारी को एकमुश्त देय हो जाएगा।

निपटान विकल्प की अवधि के दौरान नामिती द्वारा आंशिक निकासी या फंड में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान प्रीमियम भुगतान के लिए उसकी विधि के रूप में वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक (केवल एनएसीएच के माध्यम से) भुगतान को चुन सकता है।

प्रीमियम भुगतान की विधि को चुनाव पॉलिसी की शुरुआत में ही कर लिया जाना चाहिए, हालांकि इसे पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किसी भी आगामी पॉलिसी वर्षगाँठ पर बदला जा सकता है (विभिन्न प्रीमियम भुगतान विधियों के बीच), बशर्ते कि उपरोक्त अनुच्छेद 2 में उल्लेखित न्यूनतम प्रीमियम और प्रीमियम गुणकों के प्रावधान लागू हों।

6. अनुग्रह अवधि:

वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की, और मासिक (एनएसीएच) प्रीमियम के लिए 15 दिनों की छूट भुगतान नहीं की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि के रूप में दी जाएगी।

7. फंड्स का निवेश:

यूनिट फंड: पॉलिसीधारक के पास शुरू में और बदलाव के समय प्रीमियम निवेश करने के लिए निम्नलिखित छह फंडों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। प्रीमियम आवंटन शुल्क की कटौती के बाद टॉप-अप प्रीमियम सहित भुगतान की गई प्रत्येक प्रीमियम का उपयोग चुने गए फंड प्रकार की युनिटों को खरीदने के लिए किया जाएगा। यूनिट फंड पर या तो युनिटों की संख्या को निरस्त करके या शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) को समायोजित करके कई अन्य शुल्कों की कटौती की जाएगी। शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर युनिटों का मूल्य बढ़ या घट सकता है।

उपलब्ध फंडयों का विवरण तथा मोटे तौर पर उनका निवेश पैटर्न निम्नानुसार है:

फंड का प्रकार	शासकीय /शासन द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों /कॉर्पोरेट डेट में निवेश	अल्पकालीन निवेश जैसे मुद्रा बाज़ार लिखत	सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश	जोखिम/ प्रतिफल के लिए फंड के विवरण और उद्देश्य	जोखिम रूपरेखा	एसएफ आईएन नं.
बॉन्ड फंड	60% से कम नहीं	40% से अधिक नहीं	शून्य	मुख्य रूप से निश्चित आय प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से आय के संचय के माध्यम से अपेक्षाकृत सुरक्षित और कम अस्थिर निवेश विकल्प प्रदान करना।	कम जोखिम	ULIF00124 /12/18LIC-ULIPB-ND512
सिक्योर्ड फंड	45% से कम नहीं एवं 85% से अधिक नहीं	40% से अधिक नहीं	15% से कम नहीं एवं 55% से अधिक नहीं	इक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों, दोनों में निवेश के माध्यम से स्थिर आय प्रदान करना।	निम्न से मध्यम जोखिम	ULIF00224 /12/18LICU LIPSEC512
बैलेंस्ड फंड	30% से कम नहीं एवं 70% से अधिक नहीं	40% से अधिक नहीं	30% से कम नहीं एवं 70% से अधिक नहीं	इक्विटी और निश्चित आय प्रतिभूतियों, दोनों में समान अनुपात में निवेश के माध्यम से संतुलित आय और वृद्धि प्रदान करना।	मध्यम जोखिम	ULIF00324 /12/18LICU LIPBAL512

ग्रोथ फंड	20% से कम नहीं एवं 60% से अधिक नहीं	40% से अधिक नहीं	40% से कम नहीं एवं 80% से अधिक नहीं	मुख्य रूप से इक्विटी में निवेश के माध्यम से दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि प्रदान करना।	अधिक जोखिम	ULIF00424/12/18LICULIPGRW512
फ्लेक्सी ग्रोथ फंड	0% से 20%	0% से 40%	40% से 100%	मुख्य रूप से उन चुनिंदा शेयरों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि प्रदान करना, जो एनएसई निफ्टी 100 सूचकांक का हिस्सा हैं।	अत्यधिक जोखिम	ULIF00510/11/23 LICULIPFLX512
फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड	0% से 20%	0% से 40%	40% से 100%	मुख्य रूप से उन चुनिंदा शेयरों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि प्रदान करना जो एनएसई निफ्टी 50 सूचकांक का हिस्सा हैं।	अत्यधिक जोखिम	ULIF00610/11/23 LICULIPFSG512

चूंकि उपरोक्त छह पृथक फंड मौजूदा फंड हैं, इसलिए इस योजना के अंतर्गत संबंधित फंडों के प्रचलित एनएवी पर विचार किया जाएगा।

बंद पॉलिसी फंड (एसएफआईएन: ULIF001201114LICDPFNLIF512): बंद पॉलिसी फंड का निवेश पैटर्न निम्नलिखित परिसंपत्ति श्रेणियों के साथ एक यूनिट फंड होगा:

i) मुद्रा बाज़ार लिखत: 0% से 40%

ii) शासकीय प्रतिभूतियाँ: 60% से 100%

फंड बंद करना: हालांकि फंड ओपन एंडेड हैं, लेकिन निगम आईआरडीएआई से पूर्व अनुमोदन के साथ किसी भी मौजूदा फंड को बंद कर सकता है। फंड बंद होने से कम से कम 3 महीने पहले पॉलिसीधारक को सूचित किया जाएगा। पॉलिसीधारक इन 3 महीनों के दौरान बदलाव शुल्क के बिना किसी अन्य मौजूदा फंड विकल्प पर बदलाव कर सकता है। यदि पॉलिसीधारक इस अवधि के दौरान बदलाव नहीं करता है, तो निगम बदलाव की तिथि पर एनएवी को ध्यान में रखते हुए समान परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम रूपरेखा वाले किसी अन्य फंड में यूनिट को बदलकर कर देगा।

8. युनिट मूल्य की गणना की विधि:

सभी पृथक फंड्स और बंद पॉलिसी फंड के एनएवी की गणना दैनिक आधार पर की जाएगी और यह प्रत्येक प्रकार के फंड के निवेश प्रदर्शन और फंड प्रबंधन शुल्क पर आधारित होगा और इसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:

फंड द्वारा रखे गए निवेश का बाजार मूल्य + वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्य – वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों का मूल्य, यदि कोई हो

मूल्यांकन तिथि पर विद्यमान युनिटों की संख्या (युनिटों के सृजन/प्रतिदान से पहले)

जहाँ मूल्यांकन तिथि एनएवी की गणना की तिथि है।

यूनिट फंड मूल्य नीचे अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट शुल्कों की कटौती के अधीन होगा।

शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की प्रयोज्यता:

i. विभिन्न लेनदेन के लिए यूनिटों का आवंटन और उनका प्रतिदान नीचे वर्णित एनएवी पर होगा:

लेनदेन का प्रकार	लागू एनएवी (जहाँ लेनदेन कट ऑफ समय से पहले प्राप्त होता है)
प्रथम प्रीमियम की प्राप्ति • ऑफलाइन विक्रय के मामले में: स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, प्रीमियम प्राप्त करने के स्थान पर सममूल्य पर देय। • ऑनलाइन विक्रय के मामले में: किसी भी डिजिटल भुगतान विधि द्वारा।	जोखिम की बीमांकन स्वीकृति की तिथि, अर्थात पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि का एनएवी।
एनएसीएच या किसी भी डिजिटल भुगतान विधि के माध्यम से प्राप्त नवीनीकरण प्रीमियम	हमारे अनुदेश प्राप्ति की देय तिथि या लेनदेन प्राप्ति की तिथि या प्रीमियम की देय तिथि, जो भी बाद में हो, का एनएवी।
नवीनीकरण प्रीमियम स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जाएगी, जो प्रीमियम प्राप्त होने के स्थान पर सममूल्य पर देय होगा।	हमारे लिखत की प्राप्ति की देय तिथि या प्रीमियम की देय तिथि का एनएवी, जो भी बाद में हो।

टॉप–अप प्रीमियम	अनुदेश/लिखत की प्राप्ति की तिथि या लेनदेन प्राप्ति की तिथि या बीमांकन के बाद स्वीकृति की तिथि, जो भी बाद में हो, का एनएवी।
आंशिक निकासी, उपलब्ध फंड प्रकारों के बीच बदलाव करना, या निशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण	ऑनलाइन या लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने की तिथि का एनएवी।
अभ्यर्पण	लिखित रूप में अभ्यर्पण अनुरोध प्राप्त होने की तिथि का एनएवी
मृत्यु दावा	मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ लिखित रूप में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने की तिथि का एनएवी।
पुनर्चलन	पुनर्चलन की तिथि पर एनएवी, जहां पुनर्चलन की तिथि बीमांकन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद सभी देय प्रीमियमों के समायोजन की तिथि है।
निपटान विकल्प	निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान की तिथि का एनएवी।
परिपक्वता हितलाभ	परिपक्वता तिथि का एनएवी
बंद होना	बंद होने की तिथि पर एनएवी
समापन	समापन की तिथि का एनएवी
पॉलिसी में परिवर्तन	पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि का एनएवी

ii. वर्तमान में, मौजूदा आईआरडीएआई दिशा–निर्देशों के अनुसार कट–ऑफ समय दोपहर 3 बजे है और इस संबंध में परिवर्तन आईआरडीएआई के निर्देशों के अनुसार होंगे। नए व्यवसाय के मामले में एनएवी के निर्धारण के लिए दोपहर 3 बजे का कट–ऑफ समय जोखिम की स्वीकृति की तिथि अर्थात पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि के संदर्भ में होगा।

iii. यदि लेनदेन अनुरोध निम्नलिखित के संबंध में कट–ऑफ समय से पहले प्राप्त होता है:

ए) प्रीमियम भुगतान, निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या प्रीमियम संग्रहण के लिए अन्य अधिकृत कार्यालय में या किसी भी डिजिटल भुगतान विधि या एनएसीएच के माध्यम से;

बी) निगम की सेवा शाखा द्वारा अन्य लेनदेन;

सी) एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने वाले सेवा अनुरोधों का सफल पंजीकरण समापन एनएवी लागू होगा।

iv. यदि लेनदेन अनुरोध निम्नलिखित के संबंध में निर्धारित समय के बाद प्राप्त होता है:

ए) प्रीमियम भुगतान, निगम के किसी भी शाखा कार्यालय या प्रीमियम संग्रहण के लिए अन्य अधिकृत कार्यालय में या किसी भी डिजिटल भुगतान विधि या एनएसीएच के माध्यम से;

बी) निगम की सेवा शाखा द्वारा अन्य लेनदेन;

सी) एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने वाले सेवा अनुरोधों का सफल पंजीकरण समापन एनएवी लागू होगा।

v. सीटीएस 2010 चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम केवल स्थानीय/सीटीएस/स्पीड क्लियरिंग हाउस में भाग लेने वाले बैंक पर ही स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

9. योजना के अंतर्गत शुल्क:

शुल्कों के विवरण इस प्रकार हैं। ये शुल्क नीचे अनुच्छेद 9.आई में उल्लेखित कर प्रभार के अधीन हैं।

ए) प्रीमियम आवंटन शुल्क: यह प्रीमियम का वह प्रतिशत है जो प्राप्त प्रीमियम से शुल्क के लिए विनियोजित किया जाता है, जिसमें टॉप–अप प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल है। आवंटन दर के रूप में जाना जाने वाला शेष प्रीमियम का वह हिस्सा होता है जिसका उपयोग पॉलिसी में चुने गए फंड की युनिटों को खरीदने के लिए किया जाता है।

किस्त प्रीमियम (नियमित/सीमित प्रीमियम) के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम आवंटन शुल्क निम्नानुसार होगा:

पॉलिसी वर्ष	ऑफ़लाइन विक्रय के लिए	ऑनलाइन विक्रय के लिए
पहला वर्ष:	8.00%	3.00%
दूसरे से पाँचवा वर्ष:	5.50%	2.00%
इसके बाद:	3.00%	1.00%

टॉप–अप प्रीमियम पर प्रीमियम आवंटन शुल्क निम्नानुसार होगा:

- ऑफलाइन विक्रय के माध्यम से पूरी की गई पॉलिसियाँ: 2.50%
- ऑनलाइन विक्रय के माध्यम से पूरी की गई पॉलिसियाँ: 1.50%

बी) मृत्युदर शुल्क: मृत्युदर शुल्क जीवन बीमा बीमा–सुरक्षा की लागत है जो आयु के अनुसार अलग–अलग होती है और इसे प्रत्येक पॉलिसी महीने की शुरुआत में यूनिट फंड से उचित यूनिटें निरस्त करके लिया जाएगा। मासिक शुल्क वार्षिक मृत्यु शुल्क का बारहवां हिस्सा होगा।

मूल पॉलिसी के संबंध में मृत्युदर शुल्क मूल प्रीमियम फंड से उचित यूनिटों को निरस्त करके काटा जाएगा। टॉप–अप के मामले में, मृत्युदर शुल्क टॉप–अप प्रीमियम फंड से काटा जाएगा। यदि मूल प्रीमियम फंड मूल्य अपर्याप्त है, तो मृत्यु शुल्क टॉप–अप प्रीमियम फंड से काटा जाएगा, यदि कोई हो और इसके विपरीत भी यही होगा।

यह शुल्क **जोखिम राशि** पर निर्भर करेगा।

जहां पॉलिसी अवधि के दौरान मूल पॉलिसी के लिए जोखिम राशि होगी

इनमें से जो भी अधिक हो:

- चालू पॉलिसियों के मामले में मूल बीमा राशि या कम की गई चुकता पॉलिसियों के मामले में चुकता बीमा राशि; या
- मूल प्रीमियम फंड मूल्य; या
- कुल भुगतान की गई मूल प्रीमियम का 105%

इनमें से घटाएंगे

- मूल प्रीमियम फंड मूल्य

टॉप–अप के मामले में, पॉलिसी अवधि के दौरान जोखिम राशि होगी

इनमें से जो भी अधिक हो:

- टॉप–अप बीमा राशि; या
- टॉप–अप प्रीमियम फंड मूल्य; या
- कुल भुगतान की गई टॉप–अप प्रीमियम का 105%

इनमें से घटाएँगे

- टॉप–अप प्रीमियम फंड मूल्य

आंशिक निकासी के मामले में, मूल बीमा राशि या चुकता बीमा राशि, जो भी लागू हो, मृत्यु शुल्क की कटौती की तिथि से तुरंत पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान मूल प्रीमियम फंड से की गई सभी आंशिक निकासी की सीमा तक कम कर दी जाएगी।

ऐसे मामले में जहां पॉलिसी को कम चुकता पॉलिसी में परिवर्तित किया जाता है, चुकता पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम वाली राशि के संबंध में मृत्युदर शुल्क भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की देय तिथि के बाद वाले पॉलिसी महीने से काटा जाएगा। पॉलिसी के पुनर्चलन पर, पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम बीमा–सुरक्षा को तुरंत बहाल कर दिया जाएगा और चालू पॉलिसी के अंतर्गत

जोखिम वाली राशि के संबंध में मृत्युदर शुल्क पुनर्चलन की तिथि के बाद वाले पॉलिसी महीने से काटा जाएगा, साथ ही पुनर्चलन की तिथि से लेकर अगले पॉलिसी महीने तक की अवधि के लिए आनुपातिक मृत्युदर शुल्क भी काटा जाएगा।

टॉप–अप के मामले में, पॉलिसी के अंतर्गत टॉप–अप के संबंध में जोखिम बीमा–सुरक्षा, जोखिम की स्वीकृति की तिथि से तत्काल प्रभावी होगा और टॉप–अप बीमा राशि के संबंध में मृत्युदर शुल्क, जोखिम की स्वीकृति की तिथि के बाद वाले पॉलिसी माह से काट लिया जाएगा, साथ ही जोखिम की स्वीकृति की तिथि से लेकर अगले पॉलिसी माह तक की अवधि के लिए आनुपातिक मृत्युदर शुल्क भी काटा जाएगा।

पॉलिसी वर्ष के दौरान मृत्युदर शुल्क, यूनिटों के निरस्तीकरण की नियत देय तिथि से ठीक पहले या उसके साथ पड़ने वाली पॉलिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि पर आधारित होगा, तथा इस प्रकार प्रत्येक पॉलिसी वर्षगांठ पर इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो सकती है।

स्वस्थ जीवन के संबंध में कुछ आयु वर्गों के लिए जोखिम राशि पर प्रति वर्ष रु. 1000/– मृत्युदर शुल्क की दर निम्नानुसार है:

आयु (वर्ष)	25	35	45	50	60
मृत्युदर शुल्क रु.	1.17	1.50	3.22	5.55	13.95

सी) दुर्घटना हितलाभ शुल्क (यदि एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर का विकल्प चुना गया है):

दुर्घटना हितलाभ शुल्क एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर की लागत है, यदि इसे चुना गया हो। यह शुल्क प्रत्येक पॉलिसी महीने की शुरुआत में मूल प्रीमियम फंड से उचित संख्या में यूनिटों को निरस्त करके लिया जाएगा, जबकि पॉलिसी चालू हो (यानी सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया है) और यह प्रति पॉलिसी वर्ष रु. 0.40 प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की दर से होगा। यदि बीमित व्यक्ति अर्धसैनिक बलों के अलावा किसी अन्य पुलिस संगठन में पुलिस ड्यूटी में लगा हुआ है और पुलिस ड्यूटी में लगे रहने के दौरान इस बीमा–सुरक्षा का विकल्प चुना है, तो स्तरीय वार्षिक शुल्क प्रति पॉलिसी वर्ष रु. 0.80 प्रति हजार दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि की दर से होगा। मासिक शुल्क वार्षिक दुर्घटना हितलाभ शुल्क का बारहवां हिस्सा होगा।

डी) फंड प्रबंधन शुल्क: यह परिसंपत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में लगाया जाने वाला शुल्क है और इसे एनएवी को समायोजित करके विनियोजित किया जाएगा। फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी) निम्नानुसार होगा:

- सभी 6 उपलब्ध फंड प्रकारों अर्थात बॉन्ड फंड, सिक्योरड फंड, बैलेंस्ड फंड, ग्रोथ फंड, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड के लिए यूनिट फंड का 1.35% प्रति वर्ष।
- बंद पॉलिसी फंड के लिए यूनिट फंड का 0.50% प्रति वर्ष।

यह शुल्क एनएवी की गणना के समय लगाया जाता है, जो दैनिक आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार घोषित एनएवी एफएमसी से शुद्ध होगा।

ई) पॉलिसी प्रशासन शुल्क: यह शुल्क (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है) 6ठे पॉलिसी वर्ष से लेकर पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रत्येक पॉलिसी माह की शुरुआत में समतुल्य राशि के लिए यूनिटों को निरस्त करके लगाया जाएगा।

पॉलिसी वर्ष	**पॉलिसी प्रशासन शुल्क**
प्रथम 5 वर्ष	शून्य
वर्ष 6	• वार्षिक प्रीमियम रु. 60,000 से कम: रु. 85 प्रति माह • वार्षिक प्रीमियम रु. 60,000 से अधिक: रु. 100 प्रति माह
तत्पश्चात 7वें वर्ष से आगे	6ठे वर्ष में लागू पॉलिसी प्रशासन शुल्क 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगा

यूनिट कटौती सबसे पहले मूल प्रीमियम फंड से की जाएगी, और यदि यह कटौती अपर्याप्त होगी तो टॉप-अप प्रीमियम फंड से की जाएगी।

एफ) बदलाव शुल्क: यह एक अलग फंड से दूसरे फंड में बदलाव करने पर लगाया जाने वाला शुल्क है जो उत्पाद के भीतर उपलब्ध है। प्रति बदलाव शुल्क, यदि कोई हो, मूल प्रीमियम फंड से उचित संख्या में यूनिट निरस्त करके बदलाव करने के समय लगाया जाएगा। किसी दिए गए पॉलिसी वर्ष के भीतर 4 बदलाव निःशुल्क दिए जाएँगे। उस वर्ष में बाद के बदलाव पर रु. 100 प्रति बदलाव का बदलाव शुल्क लगेगा।

जी) आंशिक निकासी शुल्क: यह फंड के प्रत्येक आंशिक निकासी के समय यूनिट फंड मूल्य पर लगाया जाने वाला शुल्क है। आंशिक निकासी की तिथि पर मूल प्रीमियम फंड से उचित संख्या में यूनिटों को निरस्त करके रु. 100/- की एक निश्चित राशि काट ली जाएगी।

एच) बंद होने संबंधी शुल्क: यह पॉलिसी के बंद होने की तिथि पर मूल प्रीमियम फंड से उचित संख्या में यूनिटें निरस्त करने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। बंद होने संबंधी लागू शुल्क इस प्रकार है:

जहाँ पॉलिसी वर्ष के दौरान पॉलिसी बंद कर दी जाती	रु. 50,000 तक की वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए बंद होने संबंधी शुल्क	रु. 50,000 से अधिक की वार्षिक प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए बंद होने संबंधी शुल्क
1	20% गुणित (एपी या एफवी) में से जो कम हो, अधिकतम रु. 3,000/- तक	6% गुणित (एपी या एफवी) में से जो कम हो, अधिकतम रु. 6,000/- तक
2	15% गुणित (एपी या एफवी) में से जो कम हो, अधिकतम रु. 2,000/- तक	4% गुणित (एपी या एफवी) में से जो कम हो, अधिकतम रु. 5,000/- तक
3	10% गुणित (एपी या एफवी) में से जो कम हो, अधिकतम रु. 1500/- तक	3% गुणित (एपी या एफवी) में से जो कम हो, अधिकतम रु. 4,000/- तक
4	5% गुणित (एपी या एफवी) में से जो कम हो, अधिकतम रु. 1,000/- तक	2% गुणित (एपी या एफवी) में से जो कम हो, अधिकतम रु. 2,000/- तक
5 और आगे	शून्य	शून्य

जहाँ

एपी – वार्षिक प्रीमियम

एफवी – पॉलिसी बंद होने की तिथि पर मूल प्रीमियम फंड मूल्य

''पॉलिसी बंद होने की तिथि'' वह तिथि होगी, जिस पर बीमित व्यक्ति/पॉलिसीधारक से पॉलिसी के अभ्यर्पण के बारे में सूचना प्राप्त होती है या अनुग्रह अवधि की समाप्ति पर (अनुग्रह अवधि के दौरान देय संविदात्मक प्रीमियम का भुगतान न करने की स्थिति में), जो भी पहले हो।

आई) कर प्रभार: इस योजना पर लागू सभी या किसी भी शुल्क पर कर प्रभार, यदि कोई हो, भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए प्रचलित कर कानूनों/अधिसूचना आदि के अनुसार कर की दर से लगाया जाएगा, जिसमें पॉलिसीधारक का कोई संदर्भ नहीं होगा।

जे) विविध शुल्क: यह अनुबंध के दौरान किसी परिवर्तन के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है, जैसे कि प्रीमियम विधि में परिवर्तन, मूल बीमा राशि में वृद्धि/कमी और पॉलिसी जारी होने के बाद दुर्घटना हितलाभ राइडर का अनुदान, और यह रु. 100/- की एक निश्चित राशि होगी, जिसे मूल प्रीमियम फंड से उचित संख्या में यूनिटों को निरस्त करके काटा जाएगा और पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि पर कटौती की जाएगी। पॉलिसी में परिवर्तन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

के) बोली प्रस्ताव प्रसार: शून्य

एल) शुल्क संशोधित करने का अधिकार: निगम मृत्युदर शुल्क और दुर्घटना हितलाभ शुल्क को छोड़कर उपरोक्त सभी या किसी भी शुल्क को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शुल्क में संशोधन उचित अनुमोदन के साथ और पॉलिसीधारकों को 3 महीने का नोटिस देने के बाद भावी प्रभाव से किया जाएगा, जिसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

हालांकि शुल्कों की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन वे समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा घोषित अधिकतम शुल्कों के अधीन होंगे। शुल्कों की वर्तमान सीमा इस प्रकार है:

- प्रीमियम आवंटन शुल्क किसी भी वर्ष में वार्षिक प्रीमियम के 12.5% से अधिक नहीं होगा
- पॉलिसी प्रशासन शुल्क रु. 500 प्रति माह से अधिक नहीं होगा।
- फंड प्रबंधन शुल्क आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगा जो वर्तमान में उपरोक्त अनुच्छेद 9.(डी) के समान है।
- प्रत्येक निकासी पर आंशिक निकासी शुल्क रु. 500/- से अधिक नहीं होगा।
- बदलाव शुल्क रु. 500/- प्रति बदलाव से अधिक नहीं होगा।
- बंद होने संबंधी शुल्क आईआरडीएआई द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगा, जो वर्तमान में उपरोक्त अनुच्छेद 9.(एच) के अंतर्गत निर्दिष्ट के समान है।
- प्रत्येक बार परिवर्तन का अनुरोध करने पर विविध शुल्क रु. 500/- से अधिक नहीं होगा।

यदि पॉलिसीधारक शुल्कों में संशोधन से सहमत नहीं होता है तो पॉलिसीधारक के पास यूनिट फंड वैल्यू वापस लेने का विकल्प होगा। यदि शुल्कों में ऐसा संशोधन 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान किया जाता है, तो लॉक–इन अवधि समाप्त होने के बाद ही निकासी की अनुमति दी जाएगी।

10. अभ्यर्पण:

पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी अभ्यर्पित की जा सकती है। यदि कोई अभ्यर्पण मूल्य है, तो उसका भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

यदि पॉलिसी 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान अभ्यर्पित की जाती है:

यदि कोई पॉलिसीधारक 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान पॉलिसी के अभ्यर्पण के लिए आवेदन करता है, तो मूल प्रीमियम के संबंध में लागू बंद होने संबंधी शुल्क की कटौती के बाद मूल प्रीमियम फंड मूल्य टॉप–अप प्रीमियम फंड वैल्यू के साथ, यदि कोई हो, अनुच्छेद 12.ए में निर्दिष्ट अनुसार बंद पॉलिसी फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। टॉप–अप प्रीमियम फंड वैल्यू के संबंध में कोई बंद करने का शुल्क नहीं है।

लॉक–इन अवधि के अंत तक पॉलिसी को बंद पॉलिसी फंड में निवेशित किया जाना जारी रहेगा। इस फंड से केवल अनुच्छेद 9.डी में निर्दिष्ट फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी) काटा जाएगा और इस अवधि के दौरान ऐसी पॉलिसी पर कोई जोखिम बीमा–सुरक्षा (राइडर बीमा–सुरक्षा सहित, यदि कोई हो) उपलब्ध नहीं होगी।

अनुच्छेद 12.बी में निर्दिष्ट लॉक–इन अवधि की समाप्ति की तिथि पर पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय, 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के अंत में पॉलिसीधारक को देय होगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

तथापि, अभ्यर्पण की तिथि के बाद लेकिन 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि की समाप्ति से पहले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की राशि नामिती/लाभार्थी को देय होगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

यदि पॉलिसी 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के बाद अभ्यर्पित की जाती है:

यदि कोई पॉलिसीधारक 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के बाद पॉलिसी को अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन करता है, तो अभ्यर्पण की सूचना की तिथि पर यूनिट फंड मूल्य पॉलिसीधारक को देय होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। पॉलिसी के अंतर्गत कोई बंद होने संबंधी शुल्क नहीं लगेगा।

इसके अलावा, यदि पॉलिसीधारक से 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान पॉलिसी के पुनर्चलन का अनुरोध प्राप्त होता है, तो भी अभ्यर्पण की गई पॉलिसी के पुनर्चलन की अनुमति नहीं होगी।

11. प्रीमियम बंद होना:

यदि पॉलिसी के अंतर्गत मूल प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया गया है, तो पॉलिसी बंद हो जाएगी।

अनुग्रह अवधि के दौरान पॉलिसी को चालू माना जाएगा और अनुग्रह अवधि के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों के समान होंगे। मृत्यु दर और दुर्घटना हितलाभ बीमा-सुरक्षा के लिए शुल्क, यदि कोई हो, अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट अन्य लागू शुल्कों के अतिरिक्त काटा जाएगा।

बंद हुई पॉलिसी के साथ निम्नानुसार व्यवहार होगा:

1) यदि पॉलिसी 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि के दौरान बंद की जाती है:

अनुग्रह अवधि की समाप्ति पर, अनुच्छेद 9.एच में निर्दिष्ट मूल प्रीमियम के संबंध में लागू बंद होने संबंधी शुल्क को घटाने के बाद मूल प्रीमियम फंड मूल्य और टॉप-अप प्रीमियम फंड मूल्य, यदि कोई हो, को अनुच्छेद 12.ए में निर्दिष्ट बंद पॉलिसी फंड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जोखिम बीमा-सुरक्षा और राइडर बीमा-सुरक्षा, यदि कोई हो, समाप्त हो जाएगा। टॉप-अप प्रीमियम फंड मूल्य के संबंध में कोई बंद होने संबंधी शुल्क नहीं होगा। केवल अनुच्छेद 9.डी में निर्दिष्ट फंड प्रबंधन शुल्क को बंद पॉलिसी फंड से काटा जाएगा।

इस प्रकार की समाप्ति पर, पॉलिसीधारक को भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम के तीन माह के भीतर एक सूचना भेजी जाएगी, जिसमें पॉलिसी की स्थिति तथा भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की तिथि से तीन वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनर्चलित करने के विकल्प के बारे में बताया जाएगा।

ऐसे मामलों में, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

ए) यदि पॉलिसीधारक **पुनर्चलित करने का विकल्प चुनता** है और उसके बाद 3 वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को पुनर्चलित करता है, तो पॉलिसी को अनुच्छेद 14 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन पुनर्चलित किया जाएगा।

बी) यदि पॉलिसीधारक 3 वर्ष की पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी को **पुनर्चलित करने का विकल्प चुनता है, लेकिन उसे पुनर्चलित नहीं करता है,** तो पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय (जैसा कि अनुच्छेद 12.बी में निर्दिष्ट है), पुनर्चलन अवधि या लॉक-इन अवधि के अंत में देय होगी, जो भी बाद में हो और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। लॉक-इन अवधि के बाद समाप्त होने वाली पुनर्चलन अवधि के संबंध में, पॉलिसी पुनर्चलन अवधि के अंत तक बंद पॉलिसी फंड में रहेगी।

सी) यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी को **पुनर्चलित करने का विकल्प नहीं चुनता है,** तो पॉलिसी बिना किसी जोखिम बीमा-सुरक्षा और राइडर

बीमा–सुरक्षा, यदि कोई हो, के जारी रहेगी और पॉलिसी फंड बंद पॉलिसी फंड में निवेशित रहेगा। पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय (अनुच्छेद 12.बी में निर्दिष्ट अनुसार), लॉक–इन अवधि की समाप्ति की तिथि पर पॉलिसीधारक को लॉक–इन अवधि के अंत में भुगतान की जाएगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

डी) हालांकि, पॉलिसीधारक के पास किसी भी समय पॉलिसी को **अभ्यर्पित करने का विकल्प होता है** और पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय (जैसा कि अनुच्छेद 12.बी में निर्दिष्ट है), लॉक–इन अवधि की समाप्ति की तिथि पर या अभ्यर्पण की तिथि पर, जैसा भी लागू हो, लॉक–इन अवधि के अंत में या अभ्यर्पण की तिथि पर, जो भी बाद में हो, पॉलिसीधारक को देय होगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

ई) **बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में,** जैसा भी मामला हो, पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय (जैसा कि अनुच्छेद 12.बी में निर्दिष्ट है), नामिती/लाभार्थी को देय होगी।

2) यदि पॉलिसी 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के बाद बंद होती है:

मूल प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसी बंद होने की स्थिति में, अनुग्रह अवधि समाप्त होने पर, पॉलिसी को कम चुकता पॉलिसी में बदल दिया जाएगा। मूल बीमा राशि को कम करके ऐसी राशि बना दी जाएगी जिसे चुकता बीमा राशि कहा जाता है और यह मूल बीमा राशि को कुल अवधि जिसके लिए प्रीमियम पहले ही भुगतान किया जा चुका है और अधिकतम अवधि जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थे के अनुपात से गुणा करके प्राप्त की जाएगी। पॉलिसी राइडर बीमा–सुरक्षा के बिना कम चुकता वाली स्थिति में बनी रहेगी, यदि कोई हो यानी कम भुगतान वाली पॉलिसी के अंतर्गत कोई दुर्घटना हितलाभ बीमा–सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगा।

मूल प्रीमियम के संबंध में, कम जोखिम बीमा–सुरक्षा और इसलिए भुगतान की गई पॉलिसी के संबंध में मृत्यु दर शुल्क भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की तिथि के बाद अगले पॉलिसी माह से लागू होंगे। हालाँकि, टॉप–अप प्रीमियम के संबंध में जोखिम बीमा–सुरक्षा लागू रहेगी और लागू मृत्यु दर शुल्क में कटौती जारी रहेगी। इसके अलावा, अन्य सभी लागू शुल्क (दुर्घटना हितलाभ शुल्क को छोड़कर) भी काटे जाते रहेंगे।

इस प्रकार बंद किए जाने पर, पॉलिसीधारक को भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम के तीन माह के भीतर एक सूचना भेजी जाएगी, जिसमें पॉलिसी की स्थिति तथा विकल्प बताए जाएंगे (क) भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की तिथि से तीन वर्ष की पुनर्चलन अवधि के भीतर या परिपक्वता तिथि तक, जो भी पहले हो, पॉलिसी को पुनर्चलित करना (राइडर के साथ, यदि इसे चुना गया हो); या (ख) पॉलिसी को पूर्ण रूप से वापस करना।

ऐसे मामलों में, निम्नलिखित स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं:

ए. यदि पॉलिसीधारक **पुनर्चलित करने का विकल्प चुनता है और पुनर्चलन** अवधि के दौरान या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, किसी भी समय पॉलिसी को पुनर्चलित करता है, तो पॉलिसी को अनुच्छेद 14 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन पुनर्चलित किया जाएगा।

बी. यदि पॉलिसीधारक **पुनर्चलित करने का विकल्प चुनता है, लेकिन पुनर्चलन** अवधि के दौरान या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, पॉलिसी को पुनर्चलित नहीं करता है, **या कोई विकल्प नहीं चुनता है,** तो पॉलिसी पुनर्चलन अवधि के अंत तक या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, कम चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी। ऐसे मामले में, पुनर्चलन अवधि की समाप्ति की तिथि या परिपक्वता की तिथि के अनुसार यूनिट फंड मूल्य, जो भी लागू हो, पुनर्चलन अवधि के अंत या परिपक्वता की तिथि पर, जो भी पहले हो, देय होगा, और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

सी. यदि पॉलिसीधारक पूर्ण वापसी का विकल्प चुनता है या किसी भी समय पॉलिसी को अभ्यर्पित करता है, तो ऐसी स्थिति में यूनिट फंड मूल्य पॉलिसीधारक को देय होगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

डी. पुनर्चलन अवधि या परिपक्वता तिथि के अंत से पहले बीमित **व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में,** जो भी पहले हो, निम्नलिखित में से जो भी अधिक राशि होगी, वह देय होगी:

- चुकता बीमा राशि में से मृत्यु की तिथि से ठीक पहले की दो वर्ष की अवधि के दौरान की गई आंशिक निकासी, यदि कोई हो, को घटाकर; या
- मूल प्रीमियम फंड मूल्य; या
- मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल मूल प्रीमियम का 105%

इसके अतिरिक्त, यदि पॉलिसी के अंतर्गत टॉप-अप प्रीमियम का भुगतान किया गया है, तो निम्नलिखित में से जो भी अधिकतम राशि होगी, वह भी देय होगी:

- कुल टॉप-अप बीमा राशि; या
- टॉप-अप प्रीमियम फंड मूल्य; या
- मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल टॉप-अप प्रीमियम का 105%

12. जब तक पॉलिसी राशि बंद पॉलिसी फंड में है, तब तक पॉलिसी के साथ व्यवहार:

5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान यदि पॉलिसीधारक अभ्यर्पण के लिए आवेदन करता है या अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है, तो पॉलिसी बंद हो जाएगी।

ए. यूनिट फंड मूल्य का मौद्रिक राशि में रूपांतरण और बंद पॉलिसी फंड में यूनिटों का आवंटन:

पॉलिसी बंद होने पर, अनुच्छेद 9.एच में **निर्दिष्ट मूल प्रीमियम** के संबंध में लागू बंद होने संबंधी शुल्कों को काटने के बाद पॉलिसी बंद होने की तिथि पर मूल प्रीमियम फंड मूल्य, **टॉप–अप प्रीमियम फंड मूल्य** के साथ, यदि कोई हो, **बंद पॉलिसी फंड** में स्थानांतरित कर दी जाएगी और जोखिम बीमा–सुरक्षा (राइडर बीमा–सुरक्षा सहित, यदि कोई हो) बंद हो जाएगी। टॉप–अप प्रीमियम फंड मूल्य के संबंध में कोई बंद होने संबंधी शुल्क नहीं होगा।

बंद पॉलिसी फंड की यूनिटों की संख्या, बंद पॉलिसी फंड के बंद होने की तिथि पर लागू एनएवी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को आवंटित की जाएगी।

बी. बंद पॉलिसी फंड की आय:

बंद पॉलिसी फंड (एसएफआईएन: ULIF001201114LICDPFNLIF512) एक अलग यूनिट फंड है और इसमें यूनिट संबद्ध जीवन बीमा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी पॉलिसियों के बंद पॉलिसी फंड शामिल होंगे। इस फंड पर केवल अनुच्छेद 9.डी में निर्दिष्ट फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी) ही लागू होगा।
यूनिट फंड मूल्य, जो बंद पॉलिसी फंड में स्थानांतरित किया जाता है, उसमें बंद पॉलिसी फंड से पॉलिसी के वापस होने तक बंद पॉलिसी फंड में निवेश जारी रहेगा, चाहे वह मृत्यु, अभ्यर्पण, पुनर्चलन, 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के अंत में पॉलिसी समाप्ति या 3 वर्ष की पुनर्चलन अवधि के पूरा होने पर हो (यदि पुनर्चलन अवधि 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि से आगे बढ़ती है), जो भी लागू हो।

पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय निम्नांकित में से जो भी अधिक होगी, वह होगी:

- बंद पॉलिसी फंड का यूनिट फंड मूल्य; या
- न्यूनतम गारंटीकृत ब्याज दर का उपयोग करके गणना की गई गारंटीकृत राशि।

जहां, यूनिट फंड मूल्य की गणना बंद पॉलिसी फंड से पॉलिसी के वापस होने की तिथि पर बंद पॉलिसी फंड की यूनिटों की संख्या के साथ एनएवी को गुणा करके की जाएगी।

गारंटीकृत राशि, पॉलिसी बंद होने की तिथि से लेकर पॉलिसी बंद होने तक बंद पॉलिसी फंड में गारंटीकृत ब्याज दर पर हस्तांतरित राशि का संचय है। बंद पॉलिसी फंड पर लागू न्यूनतम गारंटीकृत ब्याज दर मौजूदा विनियमों के अनुसार होगी। वर्तमान में यह गारंटीकृत ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है और आईआरडीएआई द्वारा घोषित समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होगी।

13. अनिवार्य समापन:

यदि पॉलिसी कम से कम 5 वर्ष तक चली है, बशर्ते 5 साल की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और यूनिट फंड में शेष राशि संबंधित शुल्कों की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पॉलिसी अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाएगी और यूनिट फंड में शेष राशि, यदि कोई हो, पॉलिसीधारक को वापस कर दी जाएगी। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होगा कि पॉलिसी चालू है या पुनर्चलन अवधि के दौरान भुगतान की गई है।

14. पुनर्चलन:

ए. लॉक-इन अवधि के दौरान बंद पॉलिसी का पुनर्चलन

यदि पॉलिसीधारक पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी को पुनर्चलित करने का विकल्प चुनता है, तो पॉलिसी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्चलित किया जाएगा:

ए. सभी देय एवं भुगतान नहीं हुई प्रीमियमों का बिना ब्याज के भुगतान।

बी. पॉलिसी के संबंध में बंद पॉलिसी फंड की आय को मूल प्रीमियम फंड और टॉप-अप प्रीमियम फंड, यदि कोई हो, में उसी अनुपात में वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जैसा कि मूल प्रीमियम फंड मूल्य (बंद करने के प्रभारों को घटाने के बाद) बंद करने की तिथि पर टॉप-अप प्रीमियम फंड मूल्य से संबंधित है।

सी. पॉलिसी बंद करने के समय मूल प्रीमियम फंड से यदि कोई कटौती की गई है, तो उसे वापस मूल प्रीमियम फंड में जोड़ दिया जाएगा।

डी. सभी पॉलिसी प्रशासन शुल्क, यदि कोई हो, तथा उन पर कर शुल्क, मूल प्रीमियम फंड से काट लिए जाएंगे।

बी. लॉक–इन अवधि के बाद बंद पॉलिसी का पुनर्चलन:

यदि पॉलिसीधारक पुनर्चलन अवधि के दौरान या परिपक्वता की तिथि तक, जो भी पहले हो, पॉलिसी को पुनर्चलित करने का विकल्प चुनता है, तो पॉलिसी को निम्नलिखित के अधीन पुनर्चलित किया जाएगा:

ए. बिना ब्याज के सभी देय और भुगतान नहीं हुई प्रीमियमों का भुगतान।

बी. पॉलिसी बंद होने की तिथि से सभी बकाया लागू पॉलिसी प्रशासन शुल्क, यदि कोई हो, तथा उस पर देय कर प्रभार, मूल प्रीमियम फंड से काट लिया जाएगा।

प्रीमियम आवंटन शुल्क (जैसा कि अनुच्छेद 9.ए में निर्दिष्ट है) प्राप्त प्रीमियम पर भी लागू होगा।

निगम के पास बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या निगम की ''बोर्ड स्वीकृत बीमांकन नीति'' के अनुसार अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। पुनर्चलन, पहले से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि के अधीन होगा और इस संबंध में कोई भी अतिरिक्त जानकारी, यदि और जैसा कि पुनर्चलन के समय पॉलिसीधारक/प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा रही ''बोर्ड स्वीकृत बीमांकन नीति'' के अनुसार आवश्यक हो सकती है। बंद पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित, स्वीकार किया जाएगा और पुनर्चलन रसीद जारी की जाएगी।

पॉलिसीधारक द्वारा मूल रूप से चुनी गई पृथक फंड की युनिटें या अंतिम बदलाव में चुने गए, या पुनर्चलन के समय चुने गए फंड, जैसा भी मामला हो, पुनर्चलन की तिथि के एनएवी के आधार पर आवंटित की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित बातों पर ध्यान दिए बिना, यदि यूनिट फंड मूल्य, पुनर्चलन अवधि के दौरान प्रभारों की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और उसके बाद पुनर्चलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर को चुना गया है, तो इसे अलग से नहीं बल्कि मूल पॉलिसी के साथ पुनर्चलित किया जा सकता है।

15. बहाली:

यदि पॉलिसीधारक से 5 वर्ष की लॉक–इन अवधि के दौरान पॉलिसी की बहाली का अनुरोध प्राप्त होता है, तो भी अभ्यर्पण की गई पॉलिसी की बहाली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. पॉलिसी में परिवर्तन:

अनुबंध के दौरान, प्रीमियम भुगतान विधि में परिवर्तन अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट न्यूनतम प्रीमियम और प्रीमियम गुणकों के प्रावधानों के अधीन होगा और पॉलिसी जारी होने के

बाद दुर्घटना हितलाभ राइडर की अनुमति दी जाएगी, जिसकी अनुमति रु.100/– के विविध शुल्क के अधीन होगी, जिसे मूल प्रीमियम फंड से उचित संख्या में यूनिटों को निरस्त करके काटा जाएगा और पॉलिसी में परिवर्तन की तिथि पर कटौती की जाएगी। परिवर्तन इसके साथ या इसके बाद आने वाली पॉलिसी की वर्षगांठ से प्रभावी होगा।

निगम बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार पॉलिसी में परिवर्तन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परिवर्तन तभी प्रभावी होगा जब निगम द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा और प्रस्तावक/बीमित व्यक्ति को विशेष रूप से सूचित किया जाएगा।

17. ऋण:

इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

18. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के पहले घटित होने पर पॉलिसी तत्काल एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि जिस पर मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाता है, यदि मृत्यु के लिए निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है; या

बी) वह तिथि जिस दिन पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण हितलाभ का निपटान किया जाता है; या

सी) परिपक्वता की तिथि; या

डी) मृत्यु की स्थिति में निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्त के भुगतान पर; या

ई) निपटान विकल्प अवधि के प्रारंभ होने के बाद नामिती/लाभार्थी की मृत्यु होने पर; या

एफ) मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि का भुगतान करने पर; या

जी) उपरोक्त अनुच्छेद 13 में निर्दिष्ट अनिवार्य समाप्ति पर; या

एच) उपरोक्त अनुच्छेद 11 में निर्दिष्ट अनुसार पॉलिसी बंद करने की स्थिति में; या

आई) अनुच्छेद 19 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

19. कुछ घटनाओं में जब्ती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोकी गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इस पॉलिसी के आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय–समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

20. कर:

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं के प्रभारों पर लगाया गया वैधानिक कर, यदि कोई हो, समय–समय पर लागू कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होगा।

इस योजना के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियम और देय लाभों पर आयकर हितलाभ/प्रभाव के संबंध में विवरणों के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श लें।

21. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, आपत्तियों के कारण बताते हुए पॉलिसी हमें वापस कर सकता है। इसकी प्राप्ति पर निगम पॉलिसी निरस्त कर देगा और वापस की जाने वाली राशि निम्नानुसार होगी:

अनुरोध प्राप्ति की तिथि पर **यूनिट फंड मूल्य** इसमें जोड़ेंगे, अनावंटित प्रीमियम (आवंटन शुल्क गुणित प्राप्त प्रीमियम के बराबर राशि)

इसमें जोड़ेंगे, मुक्त अवलोक का विकल्प चुनने की तिथि से लेकर पॉलिसी माह के अंत तक की शेष अवधि के लिए आनुपातिक मृत्यु दर और दुर्घटना हितलाभ शुल्क, यदि कोई हो, जिसके लिए संबंधित शुल्क काटा गया है।

इसमें जोड़ेंगे उस पर काटे गए कर

इसमें घटाएंगे चिकित्सा परीक्षण और विशेष रिपोर्ट (यदि कोई हो) की वास्तविक लागत,

इसमें घटाएंगे स्टाम्प शुल्क (यदि कोई हो)।

22. अपवर्जन:

आत्महत्या खण्ड:

पॉलिसी शुरू होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के भीतर आत्महत्या के कारण मृत्यु होने के मामले में, पॉलिसीधारक के नामिती या लाभार्थी को मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु की सूचना की तिथि पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य को पाने की पात्रता होगी। निगम पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे पर विचार नहीं करेगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

मृत्यु की तिथि के बाद वसूले गए फंड प्रबंधन शुल्क (एफएमसी) और एफएमसी पर लगाए गए कर शुल्क के अलावा लगाए गए किसी भी शुल्क और कर को मृत्यु की सूचना की तिथि पर उपलब्ध यूनिट फंड मूल्य में वापस जोड़ा जाएगा।

23. जोखिम कारक और अस्वीकरण:

i) एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस एक यूनिट संबद्ध जीवन बीमा उत्पाद है, जो पारंपरिक बीमा उत्पादों से अलग है।

ii) यूनिट संबद्ध जीवन बीमा पॉलिसियों में भुगतान की गई प्रीमियम पूंजी बाजार से जुड़े निवेश जोखिमों के अधीन होती हैं और यूनिटों के एनएवी फंड के प्रदर्शन और पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर बढ़ या घट सकती हैं और बीमाधारक अपने निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है।

iii) भारतीय जीवन बीमा निगम केवल बीमा कंपनी का नाम है और एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस केवल यूनिट लिंक्ड जीवन बीमा अनुबंध का नाम है और यह किसी भी तरह से अनुबंध की गुणवत्ता, उसकी भावी संभावनाओं या प्रतिफल का संकेत नहीं देता है।

iv) कृपया अपने बीमा अभिकर्ता या मध्यस्थ से या बीमाकर्ता के पॉलिसी दस्तावेज़ से संबंधित जोखिम और लागू शुल्क के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

v) यह अनुशंसा की जाती है कि आप इस योजना को खरीदने से पहले इस विवरणिका और अनुकूलित हितलाभ चित्रण को पढ़ें और समझें तथा जानें कि यह योजना क्या है, यह कैसे काम करती है और इसमें क्या जोखिम शामिल हैं।

vi) इस अनुबंध के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न फंड प्रकार केवल फंडों के नाम हैं और किसी भी तरह से इन योजनाओं की गुणवत्ता, उनकी भावी संभावनाओं और प्रतिफल का संकेत नहीं देते हैं।

vii) पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ समय–समय पर लागू कर कानूनों और अन्य वित्तीय अधिनियमों के अधीन भी हैं।

viii) आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित फॉर्म डी 02 में आपकी पॉलिसी के अंतर्गत यूनिटों का वास्तविक मूल्य निगम की वेबसाइट (www.licindia.in) पर उपलब्ध एलआईसी के ग्राहक पोर्टल पर सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से देखा जा सकता है।

24. नमूना हितलाभ चित्रण:

बीमित व्यक्ति की आयु	35 वर्ष
पॉलिसी अवधि	20 वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि	15 वर्ष
प्रीमियम भुगतान विधि	वार्षिक
प्रीमियम	रु. 40,000
मूल बीमा राशि गुणक	10
खरीद की विधि	ऑफलाइन
फंड का प्रकार	बॉण्ड फंड

योजना के अंतर्गत हितलाभ :

	4% प्रति वर्ष की दर से हितलाभ	8% प्रति वर्ष की दर से हितलाभ
कुल परिपक्वता हितलाभ :	**रु.781306**	**रु. 1320333**
8% प्रति वर्ष की दर से शुद्ध हितलाभ :		**6.04%**

पॉलिसी वर्ष की समाप्ति (अवधि)	संचयी प्रीमियम (रु.)	4% प्रति वर्ष की दर से हितलाभ		8% प्रति वर्ष की दर से हितलाभ	
		मृत्यु हितलाभ (रु.)	फंड मूल्य (परिपक्वता पर मृत्युदर शुल्क की वापसी सहित) (रु.)	मृत्यु हितलाभ (रु.)	फंड मूल्य (परिपक्वता पर मृत्युदर शुल्क की वापसी सहित) (रु.)
6	240000	400000	244336	400000	280285
10	400000	431115	431115	538276	538276
15	600000	692547	692547	966808	966808
20	600000	781306	781306	1320333	1320333

अस्वीकरण

i) यह उदाहरण धूम्रपान न करने वाले मानक जीवन (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) वाले पुरुष/महिला के लिए ऑफ़लाइन खरीदी गई पॉलिसी के लिए लागू है, जिसमें एलआईसी के संबद्ध दुर्घटना मृत्यु हितलाभ राइडर का विकल्प नहीं चुना गया है और टॉप–अप प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है।

ii) इस हितलाभ उदाहरण में यह माना गया है कि एलआईसीआई पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान जिस अनुमानित निवेश दर से प्रतिफल अर्जित कर पाएगी, वह 4% प्रति वर्ष या 8% प्रति वर्ष होगी, जैसा भी मामला हो। अनुमानित निवेश दर की गारंटी नहीं है और ये आपके द्वारा वापस प्राप्त की जाने वाली राशि की ऊपरी या निचली सीमा नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी का मूल्य निवेश के भावी प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

iii) उपरोक्त उदाहरण प्रचलित कर प्रभार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, जो समय–समय पर परिवर्तन के अधीन है।

iv) इस चित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके।

v) एलआईसी अपने अभिकर्ताओं/मध्यस्थों, कर्मचारियों और अधिकारियों को ''यूलिप'' फंड के भविष्य के प्रदर्शन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए अधिकृत नहीं करता है, सिवाय 4% और 8% की उपरोक्त उदाहरणात्मक वृद्धि दर के।

25. शिकायत निवारण तंत्र:

निगम का:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/असंतोष दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकता है। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@ licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से संतुष्ट न होने वाले दावेदारों के पास अपने मामलों को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के समक्ष उठाने का विकल्प है। प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश होता है।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है, तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पॉलिसीधारक के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (यानी आईआरडीएआई ग्रीविएंस कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल कर सकता है.

ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेज सकता है.

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in/पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है

iv) कूरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम लागत और शीघ्र मध्यस्थता प्रदान करता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान, समय-समय पर यथा संशोधित, लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार है:

1. पॉलिसी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर जीवन बीमा संबंधी किसी भी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

2. जीवन बीमा की पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या कानूनी प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I – इस उप-धारा के उद्देश्य से ''धोखाधड़ी'' नामक अभिव्यक्ति का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य शामिल है:

ए. सुझाव, एक तथ्य के रूप में उस बारे में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

बी. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित है।

स्पष्टीकरण II – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों के बारे में केवल चुप्पी ही धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि उस प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए बीमाधारक या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य बोलने के लिए मौन रहना है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में ही बोलने के बराबर न हो।

3. उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि बीमाधारक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी भौतिक तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था, या उसकी मंशा तथ्य को जान-बूझकर दबाने की नहीं थी, या किसी भौतिक तथ्य की ऐसी गलत-बयानी या उसे दबाना बीमाकर्ता की जानकारी में है:

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों का होता है।

स्पष्टीकरण – एक व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा अनुबंध करवाने की माँग की जाती है और इस संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4. जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर किसी भी समय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, कि बीमाधारक के जीवन की प्रत्याशा के संबंध में किसी भी तथ्य का कोई भी बयान देने या उसके संबंध में कोई तथ्य दबाकर रखने का काम गलत तरीके से प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या उसका पुनर्चलन किया गया था या उसके लिए राइडर जारी किए गए थे।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके वैधानिक प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और साम ग्रियों के बारे में बताना होगा, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है:

इसके अलावा, यदि पॉलिसी को गलत बयान या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, तो अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर एकत्र किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशिती को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के उद्देश्य से तथ्य का गलत बयानी करना या छिपाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम पर सीधा असर न होता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो ऐसे में बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

5. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से रोके, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए सवाल उठाने योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें बाद में केवल उस परवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गई हैं, कि प्रस्ताव में बीमाधारक की आयु गलत बताई गई है।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41)

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीनीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडित होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम,
1938 की विभिन्न धाराएं
समय-समय पर यथा संशोधित लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें।
पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.licindia.in पर लॉग ऑन करें.

नकली फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/
धोखेधड़ी वाले ऑफ़र्स से सावधान

आईआरडीएआई या इनके अधिकारी बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनसों की घोषणा या प्रीमियमों का निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। अगर किसी को ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं तो कृपया पुलिस में शिकायत दर्ज करें।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुँच सकें और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकें। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रहा है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने अस्तित्व के छ: दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेमा
जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021
वेबसाईट: **www.licindia.in**
पंजीकरण संख्या: 512